तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/374) बअनवान मूलसिंह बनाम गीताकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस मूलसिंह **<u>बनाम</u>** गीता कंवर इत्यादि उपस्थिति 1. श्री नाहरसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट 2. श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8 **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।** **आदेश** दिनांक 17 जनवरी 2025 अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2023 अनवान गीता कंवर बनाम कुंवर समदरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी 2023 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या एक से सात की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा उसके नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन आया हुआ हैं। अपीलांट द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय में डिमाण्ड	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/374) बअनवान मूलसिंह बनाम गीताकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राशिक 27900/- जमा करवायी जा चुकी है। रेस्पो. गीता कंवर द्वारा अपीलांट के उक्त विद्युत कनेक्शन को रुकवाने के उद्धेश्य से वाद एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाव तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कृषि विद्युत कनेक्शन छूट हेतु निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं कर केवल तारीख पेशीया दी जा रही है। अपीलांट गरीब किसान है तथा उसकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। अपीलांट खसरा नं. 182 एवं 427 का मूल खातेदार है, जबकि रेस्पोडेंट्स अजनबी क्रेता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में हैं। इस कारण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया तथा कृषि कनेक्शन की छूट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किये जाने पर मजबूरन हस्तगत अपील प्रस्तुत करनी पड़ी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जनवरी 2023 को निरस्त किया जावे एवं अपीलांट को कृषि कनेक्शन की छूट प्रदान की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/374) बअनवान मूलसिंह बनाम गीताकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2074-2077 ग्राम जवाहरनगर तहसील शेरगढ के खाता संख्या 13, 53 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 188 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 427 रकबा 22.6624 हैक्टेयर में 169/1050 वे हिस्से तथा खसरा नं. 182 रकबा 1.3031 हैक्टेयर में 1/6 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक होने से वरीयता अनुसार उनके नाम से कृषि कनेक्शन जारी होने पर उसके द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि 27900/- रूपये जमा करवाये जा चुके है। अदालत हाजा द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2023 के अस्थाई व्यादेश के जरिये अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट के पक्ष में जारी छूट को निरंतर रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/374) बअनवान मूलसिंह बनाम गीताकंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि विद्युत कनेक्शन की छूट को जारी रखते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	